(7)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 134 / 2021
इमरान खत्री मार्फत हाजी मुख्त्यार हुसैन, कपडा व्यापारी, जुनैद मार्केट, फुटला बाजार, झुंझुनूं 333001

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 16.08.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 28.07.2021 को प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 134 / 2021 पर दिनांक 28.07.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 2117–18 दिनांक 28.07.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ16(4)(5) न्याय / सू0अ0 / 21 / 1631 दिनांक 10.08.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी इमरान खत्री मार्फत हाजी मुख्त्यार हुसैन, कपडा व्यापारी, जुनैद मार्केट, फुटला बाजार, झुंझुनूं का आवेदन आर0टी0आई0 पोर्टल पर दिनांक 24.06.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक 227 दिनांक 07.07.2021 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झुंझुनूं को बिन्दु सं0 6, 7, 8, 9 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया तथा बिन्दू सं0 1 की सूचना हेतु न्याय अनुभाग एवं बिन्दू सं0 2, 4 की सूचना हेतु निजी सहायक जिला कलक्टर झुंझुनूं तथा बिन्दू सं0 3 की सूचना हेतु सर्तकता अनुभाग एवं बिन्दू सं0 5 की सूचना उपलब्ध करवाने चुनाव अनुभाग को पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। जिसके संबंध मे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झुंझुनूं ने अपने पत्र कमांक 344 दिनांक 14.07.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करावाया कि श्रीमान् निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 30.06.2020 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही की जा रही है। जांच का अंतिम निर्णय नही होने के कारण आप द्वारा चाही गई सूचना की प्रति दी जानी संभव नही है तथा बिन्दू संख्या 1 की सूचना न्याय अनुभाग के पत्र कमांक 251 दिनांक 26.07.2021 के द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा बिन्दू संख्या 2 एवं 4 की सूचना निजी सहायक जिला कलक्टर झुंझुनूं ने अपने पत्र कमांक 281 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा बिन्दू सं0 3 के कम मे प्रभारी अधिकारी सर्तकता अनुभाग ने अपनी टिप्पणी मे बताया की बिन्दू सं0 3 उनके अनुभाग से संबंधित नही है तथा बिन्दू सं0 5 की सूचना चुनाव अनुभाग ने अपने पत्र कमांक 662 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। बहस के दौरान प्रार्थी ने कथन किया कि उसे उसके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः प्रार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के

18

तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सूचना दिलाने की कृपा करे।

6. लो0सू0अ0 (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक एफ16(4) (5)न्याय / सू0अ0 / 21 / 1631 दिनांक 10.08.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी इमरान खत्री मार्फत हाजी मुख्त्यार हुसैन, कपडा व्यापारी, जुनैद मार्केट, फुटला बाजार, झुंझुनूं का आवेदन आर0टी0आई0 पोर्टल पर दिनांक 24.06.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक 227 दिनांक 07.07.2021 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झुंझुनूं को बिन्दू सं0 6, 7, 8, 9 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया तथा बिन्दू सं0 1 की सूचना हेतु न्याय अनुभाग एवं बिन्दू सं0 2, 4 की सूचना हेतु निजी सहायक जिला कलक्टर झुंझुनूं तथा बिन्दू सं0 3 की सूचना हेतु सर्तकता अनुभाग एवं बिन्दू सं0 5 की सूचना उपलब्ध करवाने चुनाव अनुभाग को पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। जिसके संबंध मे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झुंझुनूं ने अपने पत्र कमांक 344 दिनांक 14.07.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करावाया कि श्रीमान् निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 30.06.2020 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही की जा रही है। जांच का अंतिम निर्णय नही होने के कारण आप द्वारा चाही गई सूचना की प्रति दी जानी संभव नही है तथा बिन्दू संख्या 1 की सूचना न्याय अनुभाग के पत्र कमांक 251 दिनांक 26.07.2021 के द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा बिन्दू संख्या 2 एवं 4 की सूचना निजी सहायक जिला कलक्टर झुंझुनूं ने अपने पत्र कमांक 281 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा बिन्दू सं0 3 के कम मे प्रभारी अधिकारी सर्तकता अनुभाग ने अपनी टिप्पणी मे बताया की बिन्दू सं0 3 उनके अनुभाग से संबंधित नही है तथा बिन्दू सं0 5 की सूचना चुनाव अनुभाग ने अपने पत्र कमांक 662 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

8. प्रकरण के अवलोकन से जाहिर है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (ज) के अनुसार जिन प्रकरणों मे अन्वेषण किया जा रहा है उन प्रकरणों मे सूचना के प्रकटन से छूट प्रदान की गई है। इस प्रकरण मे अन्वेषण की कार्यवाही न होकर मात्र विभागीय जांच की कार्यवाही है। आरोपी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उसके विरूद्व सभी सूचनायें उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 (3) के अनुसार सरकारी कर्मचारी को अपने बचाव की तैयारी करने के प्रयोजनार्थ ऐसे सरकारी अभिलेखों का जिन्हे विनिर्दिष्ट करें निरीक्षण करने तथा उनमे से उद्वरण लेने की अनुज्ञा दी जायेगी, परन्तु यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय मे ऐसे अभिलेख उस प्रयोजन से सुसंगत नही हो या उसे अभिलेख दिखलाना लोकहित के विरूद्व है तो अभिलिखित कारण से अनुज्ञा देने से इन्कार किया जा सकेगा। प्रार्थी को अपने बचाव मे वर्णित सूचनायें दिया जाना हम उचित मानते है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लो0सू0अ0 (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना पुनः 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाना सुनिश्चित करे।

9. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 16.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं
16/8/